

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से स्वाभाविक मृत्यु में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 405 दिनांक 24.08.18 द्वारा खाता संख्या 12110100014476, आई.एफ.एस.सी BARBOSITAMA में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रित/लाभार्थी के A/c does not Exit रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक 742 दिनांक 07.11.19 द्वारा प्राप्त संशोधित नया बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 405 दिनांक 24.08.18 के क्रमांक 07 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उष, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )/ दावेदार	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० शोभित राम, श्री सरयुग राम, अनु० जाति	श्रीमती सीता देवी( पत्नी)	700/23.7.18	ग्रा०-कपरौल सिरौमन, था०+प्र०-रीगा, सीतामढ़ी	121101000 14476	बैंक ऑफ बड़ौदा, BARBOSITAMA	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 30000/-

( तीस हजार रूपए मात्र )

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-42/2018 के पृष्ठ-26/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-42/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-42/2018-१०

पटना, दिनांक :-११-०१-२०१०

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

श्रम अधीक्षक, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, सीतामढी को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

*Gmb*  
29/01/20  
(डा0 गणश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

*(धर्मेन्द्र सिंह)*  
कार्यकारी निदेशक।